राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 01/2016 – निगरानी

विकास अधिकारी पंचायत समिति कोटडी जिला भीलवाडा — बनाम — 1. सरपंच ग्राम पंचायत आकोला पंचायत समिति कोटडी
2. महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग खण्ड कार्यालय कोटडी

–निगराकार — – गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

1. विभागीय पेरोकार – निगराकार की ओर से
2. गैर निगराकारान् उपस्थित नहीं

निर्णय

दिनांक 12.2.2020

निगराकार की ओर से यह निगरानी पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अंतर्गत गैर निगराकारान के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गैर निगराकार सं. 01 ने गैर निगराकार सं. 02 से बिना आवेदन लिए गैर पटटा बुक संख्या 262 में से पटटा संख्या 36 जारी कर दिया जो राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 145 के विरूद्व होने से निगरानी खारिज योग्य हैं। प्रकरण में दस्तावेज निर्मित नही होने से गैर निगराकार सं. 01 ने पत्रावली कायम नहीं की हैं एवं आनन फानन में विधि विरूद्व पटटा जारी कर दिया। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 146 से 149 एवं 162(1) की समुचित पालना नही की गयी। पटटे की प्रति पर कार्यालय गोल मोहर, कार्यालय अध्यक्ष / सरपंच एवं सचिव/लिपिक पद की गोल मोहर के अंकन का सर्वथा अभाव रखा हैं। मामला तब उजागर हुआ जब गेर निगराकार सं. 01 ने उक्त पटटे की भूमि पर आंगनबाडी केन्द्र द्वितीय का निर्माण प्रारम्भ करना चाहा तो मौके की स्थिति पर आबादी भूमि नहीं होकर आम रास्ता हैं, जो कि जन सुविधाओं एवं सुखाचारों के विरूद्व हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, भीलवाडा के पत्रांक/जिपभी /पंचा/908 दिनांक 03.12.2015 से पारित निर्देशानुसार निगराकार का सक्षम न्यायालय में निगरानी दायर करवा कर पटटा विलेख अपास्त कराने का निर्देश प्राप्त होने पर यह निगरानी प्रस्तुत की है। गैर निगराकार सं. 02 को इसलिए पक्षकार बनाया गया हैं क्योंकि आंगनबाडी केन्द्र भवन आकोला द्वितीय का खण्ड स्तरीय प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण अधिकारी निगराकार संख्या 02 का कार्यालय हैं। निवेदन हैं कि गैर निगराकार संख्या 02 के पक्ष में जारी पटटा निरस्त कराया जाये।

प्रस्तुत निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 05.01.2016 को पंजीकृत करते हुये गैर निगराकारान को नोटिस जारी किये गये। गैर निगराकारान् उपस्थित नहीं है। गेर निगराकारान् के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की जाती हैं।

निगराकार की ओर से विभागीय पेरोकार ने अपनी बहस में निगरानी में

अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि गैर निगराकार सं. 01 ने गैर निगराकार सं. 02 से बिना आवेदन लिए गैर पटटा बुक संख्या 262 में से पटटा संख्या 36 जारी कर दिया जो राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 145 के विरूद्व होने से निगरानी खारिज योग्य हैं। प्रकरण में दस्तावेज निर्मित नही होने से गैर निगराकार सं. 01 ने पत्रावली कायम नहीं की हैं एवं आनन फानन में विधि विरूद्व पटटा जारी कर दिया। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 146 से 149 एवं 162(1) की समुचित पालना नही की गयी। पटटे की प्रति पर कार्यालय गोल मोहर, कार्यालय अध्यक्ष / सरपंच एवं सचिव/लिपिक पद की गोल मोहर के अंकन का सर्वथा अभाव रखा हैं। गैर निगराकार सं. 02 को इसलिए पक्षकार बनाया गया हैं क्योंकि आंगनबाडी केन्द्र भवन आकोला द्वितीय का खण्ड स्तरीय प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण अधिकारी निगराकार संख्या 02 का कार्यालय हैं। निवेदन हैं कि गैर निगराकार संख्या 02 के पक्ष में जारी पटटा निरस्त कराया जाये।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिस उपरान्त पाया गया कि कार्यालय जिला परिषद भीलवाडा के पत्रांक/908 दिनांक 03.12.2015 अनुसार " ग्राम पंचायत आकोला द्वारा आंगनबाडी केन्द्र द्वितीय भवन पर पूर्व में पटटा कमांक 36 दिनांक 24.01.2013 पर निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप भवन निर्माण नहीं हो पाने व आम रास्ता बाधित होने के कारण ग्राम पंचायत आकोला द्वारा पूर्व में जारी पटटे का मौका निरीक्षण किया गया तथा ग्राम सभा बैठक दिनांक 02.10.2015 द्वारा लिये गये निर्णय की अनुपालना में ग्राम पंचायत आकोला द्वारा उक्त आंगनबाडी केन्द्र हेतु ग्राम पंचायत की आबादी भूमि खसरा नं. 949 रकबा 86.10 गे.मु.आ. में साईज 30 बाई 35 का पटटा संख्या 42 दिनांक 05.10.2015 जारी कर आंगनबाडी केन्द्र भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया।"

आंगनबाडी केन्द्र हेतु ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में नया पटटा संख्या 42 दिनांक 05.10.2015 को जारी होने से एवं पूर्व जारी पटटा संख्या 36 दिनांक 24.01.2013 निर्धारित मापदण्डों को पूरा नही किये जाने से निरस्त किया जाना युक्तियुक्त हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव –

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम स्वीकार की जाती हैं। ग्राम पंचायत आकोला पटटा सं. 36 दिनांक 24.01.2013 को राजकीय भवनों के उपयोग में लेने की शर्त पर खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी पंचायत समिति कोटडी एवं ग्राम पंचायत आकोला पंचायत समिति कोटडी को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 1.8.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा